HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 9223/2026
URN: CRLMB / 16897U / 2026

Sakir S/o Shri Jaikam, Aged About 23 Years, R/o Chaduki, PS Sadar, District Alwar, (Raj) (Currently In Central-Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shivam & Mr. Mahaveer Singh on behalf of Mr. Harendra Singh Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

30/06/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– सदर अलवर, जिला– अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 17/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 112(2), 238(b), 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66C, 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि लगभग 6 माह की हो चुकी है। प्रकरण में मुख्य साक्षी पीडब्ल्यू 1 मनोज निवरुति जाधव के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह आक्षेप है कि उसने पीड़ित को प्रवंचना कर फर्जी व्हॉट्सएप मैसेज भेजकर 12,000/– रुपये की राशि प्राप्त की है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/

अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में मुख्य साक्षी पीडब्ल्यू 1 मनोज निवरुति जाधव के कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में 12,000/– रुपये की राशि का फ्रॉड कर उक्त राशि गवाह मनोज निवरुति जाधव से प्राप्त करने के आक्षेप हैं। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के साइबर अपराध में संबद्ध होने के संदर्भ में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त लगभग 6 माह से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **साकिर पुत्र जैकम** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 17